बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–.................................

डॉ० लक्ष्मी कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बक्सर द्वारा दिनांक–20.09.2024 को आवेदन समर्पित कर अवगत करायी गयी कि विभागीय अधिसूचना सं०–1166(2) दिनांक–30.06.2023 के निहित निदेश के अनुपालन में स्वयं की अस्वस्थता के कारण चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बक्सर के पद पर योगदान समर्पित नहीं किया गया। स्वस्थ्य होने के उपरान्त दिनांक–20.09.2024 को पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

2. डॉ० लक्ष्मी कुमारी द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु की गयी अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० लक्ष्मी कुमारी का योगदान स्वीकार करते हुए उनसे कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, बक्सर को निदेशित किया जाता है कि डॉ० लक्ष्मी कुमारी को आदेश निर्गत की तिथि से योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कराया जाय। डॉ० लक्ष्मी कुमारी का योगदान करने की सूचना से अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ0 लक्ष्मी कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बक्सर के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) 39(9)/ पटना, दिनांकः– 14.01.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं, पटना प्रमण्डल, पटना/सिविल सर्जन, बक्सर को निदेशित किया जाता है कि डॉ० लक्ष्मी कुमारी के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः–डॉ0 लक्ष्मी कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/01/2025

सरकार के अवर सचिव।